

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-07-53/2019/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 04 जनवरी, 2020

प्रति,

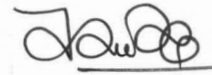
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों/संवर्गों के लिए
मॉडल रोस्टर।

.....

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 की अनुसूची-एक एवं दो में संशोधन
किया गया है, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को
प्रकाशित किया गया है। उक्त संशोधन की प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- यथोपरि।



(विकास मिश्रा) 4.1.2020

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ० क्रमांक एफ-07-53/2019/आ.प्र./एक

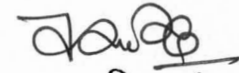
भोपाल, दिनांक 04 जनवरी, 2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
6. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।

// 2 //

8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
 9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
 10. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
 11. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इंदौर।
 12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
 13. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
 14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
 15. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं0 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल।
 16. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं0-103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082।
 17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/पिछडा वर्ग आयोग, भोपाल।
 18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
 19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
 20. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव 4.1.2020

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 530]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2019—पौष 3, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ 7-53-2019-आ0प्र0-एक-मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, विद्यमान अनुसूची एक और दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

**“अनुसूची-एक
(नियम 3 देखिए)**

सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों/संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी

अनु.जाति-16%, अनु.जनजाति-20%, अन्य पिछड़ा वर्ग-27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-10%

कार्यालय का नाम.....

संवर्ग का नाम/पद/सेवा का भाग :

स्वीकृत पदों की कुल संख्या :.....

वेतनमान:.....

रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित	नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम एवं नियुक्ति की तारीख	क्या व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है	नियुक्ति प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अनारक्षित			
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग			

रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित	नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम एवं नियुक्ति की तारीख	क्या व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है	नियुक्ति प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	अनुसूचित जनजाति			
4.	अनारक्षित			
5.	अनुसूचित जाति			
6.	अनारक्षित			
7.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
8.	अनुसूचित जनजाति			
9.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
10.	अनुसूचित जाति			
11.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
12.	अनारक्षित			
13.	अनुसूचित जनजाति			
14.	अनारक्षित			
15.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
16.	अनुसूचित जाति			
17.	अनारक्षित			
18.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
19.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
20.	अनुसूचित जनजाति			
21.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
22.	अनारक्षित			
23.	अनुसूचित जाति			
24.	अनुसूचित जनजाति			
25.	अनारक्षित			
26.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
27.	अनुसूचित जनजाति			
28.	अनारक्षित			
29.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
30.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
31.	अनुसूचित जाति			
32.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
33.	अनारक्षित			

रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित	नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम एवं नियुक्ति की तारीख	क्या व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है	नियुक्ति प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	अनुसूचित जनजाति			
35.	अनुसूचित जाति			
36.	अनारक्षित			
37.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
38.	अनारक्षित			
39.	अनुसूचित जनजाति			
40.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
41.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
42.	अनुसूचित जाति			
43.	अनुसूचित जनजाति			
44.	अनारक्षित			
45.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
46.	अनारक्षित			
47.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
48.	अनुसूचित जाति			
49.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
50.	अनुसूचित जनजाति			
51.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
52.	अनारक्षित			
53.	अनुसूचित जनजाति			
54.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
55.	अनारक्षित			
56.	अनुसूचित जाति			
57.	अनारक्षित			
58.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
59.	अनुसूचित जनजाति			
60.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
61.	अनुसूचित जाति			
62.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
63.	अनारक्षित			
64.	अनुसूचित जनजाति			

रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित	नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम एवं नियुक्ति की तारीख	क्या व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है	नियुक्ति प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65.	अनारक्षित			
66.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
67.	अनुसूचित जाति			
68.	अनारक्षित			
69.	अनुसूचित जनजाति			
70.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
71.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
72.	अनुसूचित जाति			
73.	अनारक्षित			
74.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
75.	अनुसूचित जनजाति			
76.	अनारक्षित			
77.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
78.	अनुसूचित जनजाति			
79.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
80.	अनुसूचित जाति			
81.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
82.	अनारक्षित			
83.	अनुसूचित जनजाति			
84.	अनारक्षित			
85.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
86.	अनुसूचित जाति			
87.	अनारक्षित			
88.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
89.	अनुसूचित जनजाति			
90.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
91.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
92.	अनारक्षित			
93.	अनुसूचित जाति			
94.	अनुसूचित जनजाति			
95.	अनारक्षित			
96.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
97.	अनुसूचित जाति			
98.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
99.	अनुसूचित जनजाति			
100.	अन्य पिछड़ा वर्ग			

अनुसूची-दो
(नियम 3 देखिए)

सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों/संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी

अनुजाति-16%, अनु.जनजाति-20%, अन्य पिछड़ा वर्ग-27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-10%

कार्यालय का नाम.....

संवर्ग का नाम/पद/सेवा का भाग:

स्वीकृत पदों की कुल संख्या:.....

वेतनमान:.....

रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित	नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम एवं नियुक्ति की तारीख	क्या व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है	नियुक्ति प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अनारक्षित			
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
3.	अनुसूचित जनजाति			
4.	अनारक्षित			
5.	अनुसूचित जाति			
6.	अनारक्षित			
7.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
8.	अनुसूचित जनजाति			
9.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
10.	अनुसूचित जाति			
11.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
12.	अनारक्षित			
13.	अनुसूचित जनजाति			
14.	अनारक्षित			
15.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
16.	अनुसूचित जाति			
17.	अनारक्षित			
18.	अन्य पिछड़ा वर्ग			

रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित	नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम एवं नियुक्ति की तारीख	क्या व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है	नियुक्ति प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
20.	अनुसूचित जनजाति			
21.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
22.	अनारक्षित			
23.	अनुसूचित जाति			
24.	अनुसूचित जनजाति			
25.	अनारक्षित			
26.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
27.	अनुसूचित जनजाति			
28.	अनारक्षित			
29.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
30.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
31.	अनुसूचित जाति			
32.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
33.	अनारक्षित			
34.	अनुसूचित जनजाति			
35.	अनुसूचित जाति			
36.	अनारक्षित			
37.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
38.	अनारक्षित			
39.	अनुसूचित जनजाति			
40.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
41.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
42.	अनुसूचित जाति			
43.	अनुसूचित जनजाति			
44.	अनारक्षित			
45.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
45.	अनारक्षित			
47.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
48.	अनुसूचित जाति			
49.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			

रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित	नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम एवं नियुक्ति की तारीख	क्या व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है	नियुक्ति प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50.	अनुसूचित जनजाति			
51.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
52.	अनारक्षित			
53.	अनुसूचित जनजाति			
54.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
55.	अनारक्षित			
56.	अनुसूचित जाति			
57.	अनारक्षित			
58.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
59.	अनुसूचित जनजाति			
60.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
61.	अनुसूचित जाति			
62.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
63.	अनारक्षित			
64.	अनुसूचित जनजाति			
65.	अनारक्षित			
66.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
67.	अनुसूचित जाति			
68.	अनारक्षित			
69.	अनुसूचित जनजाति			
70.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
71.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
72.	अनुसूचित जाति			
73.	अनारक्षित			
74.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
75.	अनुसूचित जनजाति			
76.	अनारक्षित			
77.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
78.	अनुसूचित जनजाति			
79.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
80.	अनुसूचित जाति			

रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित	नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम एवं नियुक्ति की तारीख	क्या व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है	नियुक्ति प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
82.	अनारक्षित			
83.	अनुसूचित जनजाति			
84.	अनारक्षित			
85.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
86.	अनुसूचित जाति			
87.	अनारक्षित			
88.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
89.	अनुसूचित जनजाति			
90.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
91.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
92.	अनारक्षित			
93.	अनुसूचित जाति			
94.	अनुसूचित जनजाति			
95.	अनारक्षित			
96.	अन्य पिछड़ा वर्ग			
97.	अनुसूचित जाति			
98.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
99.	अनुसूचित जनजाति			
100.	अन्य पिछड़ा वर्ग			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2019

एफ-07-53-2019-आ.प्र.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-07-53-2019-आ.प्र.-एक, दिनांक 24 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, सचिव.

Bhopal, the 24th December 2019

F. 7-53-2019-R.C.-I. - In exercise of the powers conferred by section 13 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, for the existing Schedules-I and II, the following Schedules shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-1 (See Rule-3)

Model Roster for State Level Posts/ Cadres to be filled by Direct recruitment

Class-I and II

SC -16%, ST-20%, OBC-27%, EWS-10%

Name of the Office :

Name of Cadre/Post/Part of the service:

Total No. of Post Sanctioned:

Pay Scale:

Roster Point	Reserved/ Unreserved	Name Of the Appointed persons and date of appointment	Whether persons belongs to SC/ST/OBC or EWS	Name and Signature of the appointing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Unreserved			
2.	OBC			
3.	ST			
4.	Unreserved			
5.	SC			
6.	Unreserved			
7.	OBC			

Roster Point	Reserved/ Unreserved	Name of the Appointed persons and date of appointment	Whether persons belong to SC/ST/OBC or E.W.S.	Name and Signature of the appointing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	ST			
9.	EWS			
10.	SC			
11.	OBC			
12.	Unreserved			
13.	ST			
14.	Unreserved			
15.	OBC			
16.	SC			
17.	Unreserved			
18.	OBC			
19.	EWS			
20.	ST			
21.	OBC			
22.	Unreserved			
23.	SC			
24.	ST			
25.	Unreserved			
26.	OBC			
27.	ST			
28.	Unreserved			
29.	OBC			
30.	EWS			
31.	SC			
32.	OBC			
33.	Unreserved			
34.	ST			
35.	SC			
36.	Unreserved			
37.	OBC			
38.	Unreserved			
39.	ST			
40.	OBC			
41.	EWS			
42.	SC			

Roster Point	Reserved/ Unreserved	Name of the Appointed persons and date of appointment	Whether persons belongs to SC/ST/ OBC or E.W.S.	Name and Signature of the appointing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43.	ST			
44.	Unreserved			
45.	OBC			
46.	Unreserved			
47.	OBC			
48.	SC			
49.	EWS			
50.	ST			
51.	OBC			
52.	Unreserved			
53.	ST			
54.	OBC			
55.	Unreserved			
56.	SC			
57.	Unreserved			
58.	OBC			
59.	ST			
60.	EWS			
61.	SC			
62.	OBC			
63.	Unreserved			
64.	ST			
65.	Unreserved			
66.	OBC			
67.	SC			
68.	Unreserved			
69.	ST			
70.	OBC			
71.	EWS			
72.	SC			
73.	Unreserved			
74.	OBC			
75.	ST			
76.	Unreserved			
77.	OBC			

Roster Point	Reserved/ Unreserved	Name of the Appointed persons and date of appointment	Whether persons belongs to SC/ST/ OBC or E.W.S.	Name and Signature of the appointing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78.	ST			
79.	EWS			
80.	SC			
81.	OBC			
82.	Unreserved			
83.	ST			
84.	Unreserved			
85.	OBC			
86.	SC			
87.	Unreserved			
88.	OBC			
89.	ST			
90.	EWS			
91.	OBC			
92.	Unreserved			
93.	SC			
94.	ST			
95.	Unreserved			
96.	OBC			
97.	SC			
98.	EWS			
99.	ST			
100.	OBC			

SCHEDULE-II
(See Rule-3)

Model Roster for State Level Posts/ Cadres to be filled by Direct recruitment

Class-III and IV

SC-16%, ST-20%, OBC-27%, EWS-10%

Name of the Office :

Name of Cadre/Post/Part of the service :

Total No. of Posts Sanctioned :

Pay Scale :

Roster Point	Reserved/ Unreserved	Name of the Appointed persons and date of appointment	Whether persons belong to SC/ST/ OBC or E.W.S.	Name and Signature of the appointing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Unreserved			
2.	OBC			
3.	ST			
4.	Unreserved			
5.	SC			
6.	Unreserved			
7.	OBC			
8.	ST			
9.	EWS			
10.	SC			
11.	OBC			
12.	Unreserved			
13.	ST			
14.	Unreserved			
15.	OBC			
16.	SC			
17.	Unreserved			
18.	OBC			
19.	EWS			
20.	ST			
21.	OBC			
22.	Unreserved			
23.	SC			

Roster Point	Reserved/ Unreserved	Name of the Appointed persons and date of appointment	Whether persons belong to SC/ST/ OBC or E.W.S.	Name and Signature of the appointing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.	ST			
25.	Unreserved			
26.	OBC			
27.	ST			
28.	Unreserved			
29.	OBC			
30.	EWS			
31.	SC			
32.	OBC			
33.	Unreserved			
34.	ST			
35.	SC			
36.	Unreserved			
37.	OBC			
38.	Unreserved			
39.	ST			
40.	OBC			
41.	EWS			
42.	SC			
43.	ST			
44.	Unreserved			
45.	OBC			
46.	Unreserved			
47.	OBC			
48.	SC			
49.	EWS			
50.	ST			
51.	OBC			
52.	Unreserved			
53.	ST			
54.	OBC			
55.	Unreserved			
56.	SC			
57.	Unreserved			
58.	OBC			

Roster Point	Reserved/ Unreserved	Name of the Appointed persons and date of appointment	Whether persons belong to SC/ST/ OBC/E.W.S.	Name and Signature of the appointing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59.	ST			
60.	EWS			
61.	SC			
62.	OBC			
63.	Unreserved			
64.	ST			
65.	Unreserved			
66.	OBC			
67.	SC			
68.	Unreserved			
69.	ST			
70.	OBC			
71.	EWS			
72.	SC			
73.	Unreserved			
74.	OBC			
75.	ST			
76.	Unreserved			
77.	OBC			
78.	ST			
79.	EWS			
80.	SC			
81.	OBC			
82.	Unreserved			
83.	ST			
84.	Unreserved			
85.	OBC			
86.	SC			
87.	Unreserved			
88.	OBC			
89.	ST			
90.	EWS			
91.	OBC			
92.	Unreserved			
93.	SC			

Roster Point	Reserved/ Unreserved	Name of the Appointed persons and date of appointment	Whether persons belong to SC/ST/OBC or E.W.S.	Name and Signature of the appointing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
94.	ST			
95.	Unreserved			
96.	OBC			
97.	SC			
98.	EWS			
99.	ST			
100.	OBC			"

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SONALEE PONKSHE VAYANGANKAR, Secy.